न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

पीठासीन अधिकारी— करतार सिंह,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
256 / प्रा0पत्र / 17	24.07.2017	19.05.2022

1. शिवराज
2. भंवरलाल
3. राजेन्द्र
4. रमेश

} पि0 शंभूदयाल जाति लुहार निवासी ग्राम करीरी तहसील नैंनवा जिला बून्दी, राजस्थान।

5. सुरजाबाई बेवा शंभूदयाल जाति लुहार निवासी ग्राम करीरी तहसील नैंनवा जिला बून्दी, राजस्थान।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. शंकर आ0 नारायण जाति लुहार निवासी सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर, राजस्थान।
2. आवंटन सलाहकार समिति नैंनवा जरिये तहसीलदार नैंनवा जिला बून्दी, राजस्थान।

—अप्रार्थीगण

उपस्थित—

प्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से—श्री सुरेन्द्र कुमार लाठी एड0
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से—श्री राजकुमार गोयल एड0
अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से—पेरोकार सरकार

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा अन्तर्गत नियम 17(4) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम, 1973 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी शंकर आ0 नारायण जाति लुहार को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 190 में से रकबा 12 बीघा 7 बीस्वा जिसके नवीन खसरा संख्या 190 / 613 वाके ग्राम नाहरगंज आवंटन आदेश दिनांक 29.05.1976 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया हैं। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 04.01.2021 को प्रार्थी के वकील द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 19.07.2017 में भूलवश आवंटन निरस्ती हेतु नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भू आवंटन) नियम, 1970 के स्थान पर नियम 17(4) राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम, 1973 अंकित कर दिया गया हैं। अतः मूल प्रार्थना पत्र को नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भू आवंटन) नियम, 1970 के अन्तर्गत माना जाकर सुनवाई की जावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.01.2021 को स्वीकार किया जाता हैं।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

वकील प्रार्थी ने दोराने बहस तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी शंकर आ0 नारायण जाति लुहार को आवंटन की पात्रता नहीं रखने पर भी आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा विधि विरूद्ध प्रकिया अपनाकर भूमि का आवंटन किया गया हैं। अप्रार्थी शंकर ग्राम करीरी

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

...ल नैंनवा का निवासी नहीं होकर ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर का निवासी हैं। आवंटित भूमि पर 50 वर्षों से अधिक समय से प्रार्थीगण के पिता स्व0 शंभूदयाल के कब्जे काश्त में चली आ रही हैं तथा प्रार्थीगण के पिता के स्वर्गवास के बाद वर्तमान में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही हैं। विवादित भूमि के विषय में विवाद होने पर माननीय उपखण्ड अधिकारी नैंनवा ने कब्जे की रिपोर्ट पटवारी हल्का नाहरगंज से तलब की थी, पटवारी रिपोर्ट दिनांक 28.06.1996 में उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के पिता का कब्जा काश्त होना बताया गया था। प्रार्थीगण के पिता श्री शंभूदयाल ने अपनी जीवित अवस्था में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैंनवा में एक वाद धारा 88, 89, 92 ए. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत वाद संख्या 77/दावा/1995 दायर किया गया था जिसका निर्णय दिनांक 31.10.2003 को प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में डिक्री हो गया हैं। विवादित कृषि भूमि नामान्तरकरण संख्या 596 दिनांक 10.01.2004 को प्रार्थीगण के पिता के खातेदारी में दर्ज हो चुकी हैं एवं प्रार्थीगण के पिता के स्वर्गवास के बाद नामान्तरकरण संख्या 1208 दिनांक 20.12.2016 से प्रार्थीगण की खातेदारी में अंकित की जा चुकी हैं। उपखण्ड अधिकारी नैंनवा के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील पेश की थी, जो खारिज की जा चुकी हैं। राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा अपील खारिज करने के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की थी, जिसे रिमाण्ड कर पुनः निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया गया हैं, जो वर्तमान में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहां जेरकार हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी शंकर को विवादित आराजी खसरा संख्या 190 में से रकबा 12 बीघा 7 बीस्वा जिसके नवीन खसरा संख्या 190/613 रकबा 12 बीघा 7 बीस्वा वाके ग्राम नाहरगंज आवंटन दिनांक 29.05.1976 को निरस्त किया जावे। वकील प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 2001 पेज 442 व आरआरडी 2002 पेज 1 की नजीरें प्रस्तुत की।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी शंकर को विवादित कृषि भूमि का आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा पूर्ण कोरम में किया गया हैं। अप्रार्थी शंकर आवंटनशुद्धा भूमि खसरा संख्या 190 में से रकबा 12 बीघा 7 बीस्वा वाके ग्राम नाहरगंज पर आवंटन से लेकर आज तक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं। आवंटन के समय प्रार्थी ग्राम करीरी पटवार हल्का नाहरगंज में निवास करता था उसके बाद लगभग 10 वर्ष पश्चात खाने कमाने के लिए ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर चला गया था। वर्तमान में उक्त भूमि अप्रार्थी के कब्जे काश्त में चली आ रही हैं। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के पश्चात प्रकरण को माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहां प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था। तत्पश्चात आरएए कोटा द्वारा प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी नैंनवा के यहां प्रतिप्रेषित कर दिया गया हैं जो जेरकार हैं। विवादित भूमि के संबंध में नियमित वाद से हक हकूक तय होंगे। प्रार्थी द्वारा आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही लगभग 41 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई हैं जो अवधि बाधित हैं तथा चलने योग्य नहीं हैं। आवंटन नियमों में 10 वर्ष पश्चात खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने के निर्देश हैं। वर्तमान में संशोधित नियमों के अनुसार 3 वर्ष में खातेदारी अधिकार देने की अवधारणा की गई हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त कर आवंटन आदेश दिनांक 29.05.1976 यथावत रखा जावें। वकील अप्रार्थी ने

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

A 6/3

कथनों के समर्थन में आरआरडी 2011 पेज 508, आरआरडी 1997 पेज 195 व आरआरडी 1989 पेज 441 की नजीरें प्रस्तुत की।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में व्यक्त किया कि प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित होगा।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। हम प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित समझते हैं। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हैं कि अप्रार्थी शंकर को आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 29.05.1976 को आवंटन किया गया हैं। वकील प्रार्थी की यह आपत्ति हैं कि अप्रार्थी शंकर ग्राम करीरी में निवास नहीं कर अन्य ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर में निवास करता हैं। अपने कथनों के समर्थन में पंचायत मतदाता सूची 1994 प्रस्तुत की गयी हैं। वकील प्रार्थी की आपत्ति के खण्डन में वकील अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। नियमों में यह प्रावधान हैं कि आवंटन के लिए उपलब्ध भूमि को उसी ग्राम/पटवार मण्डल के भूमिहिन व्यक्तियों को आवंटन के लिए प्राथमिकता दी जावेगी। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया गया हैं कि विवादित भूमि के संबंध में वाद वर्तमान में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहां जेरकार हैं। इस संबंध में यह उल्लेखनीय हैं कि हस्तगत प्रकरण आवंटन निरस्तीकरण से संबंधित हैं जिसका क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त हैं। पक्षकारान द्वारा विवादित भूमि के संबंध में कोई स्थगन जारी हो, उसके दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में यह आपत्ति उठाई गयी कि प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्तीकरण हेतु लगभग 41 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किया गया हैं जो अवधि बाधित हैं तथा चलने योग्य नहीं हैं। इस संबंध में राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) का अवलोकन किया गया जिसमें यह उल्लेखित हैं कि यदि आवंटन कपट या दुव्र्यपदेशन (misrepresentation) द्वारा प्राप्त किया गया हो, या नियमों के विरूद्व किया हो अथवा यदि आवंटिती ने आवंटन की शर्तों में से किसी भी शर्त को भंग किया हो तो ऐसे आवंटन को निरस्त किया जा सकेगा। प्रकरण में दस्तावेज से यह जाहिर आया कि अप्रार्थी शंकर ग्राम करीरी का निवासी नहीं होकर ग्राम सारसोप तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर का निवासी हैं जिससे यह प्रकट होता हैं कि अप्रार्थी द्वारा तथ्य छुपाकर आवंटन करवाया गया हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों के परीक्षणोपरान्त अप्रार्थी शंकर को किये गये आवंटन को निरस्त किया जाना उचित समझते हैं।

अतएवः परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी शंकर को आवंटित आराजी खसरा संख्या 190 में से रकबा 12 बीघा 7 बीस्वा जिसके नवीन खसरा संख्या 190/613 रकबा 12 बीघा 7 बीस्वा वाके ग्राम नाहरगंज आवंटन आदेश दिनांक 29.05.1976 निरस्त किया जाता हैं। पत्रावली फैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 19.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

अति0 जिला कलक्टर,
बूंदी